ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 11, Issue 02, February 2021 Impact Factor 6.569 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

# स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बी0एड0 संस्थाओं में वृद्धि एवं गुणवत्ताः एक अध्ययन (सहारनपुर जनपद के संदर्भ में)

**डॉ0 ललित कुमार आर्य**
पूर्व सीनियर एकेडमिक फैलो, आईसीएचआर, नई दिल्ली
**प्रो0 जे0एस0 भारद्वाज**
पूर्व विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

**सारांश–** प्रस्तुत शोध पत्र सहारनपुर जनपद के अन्तर्गत स्ववित्तपोषित योजना के में चल रहे बी0एड0 संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे 100 छात्रों को सम्मिलित करते हुए अध्ययन किया गया है इन सभी का चयन रैंडम सैम्पलिंग के तरीके से किया गया हैं। प्रस्तुत अध्ययन सर्वेक्षण विधि की सहायता से किया गया है। यह एक वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति है। बी.एड. की स्व–वित्तपोषित संस्थाओं की बेसुमार वृद्धि अध्यापक शिक्षा के गुणवत्ता के सापेक्ष खरा नहीं उतर रही है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इन स्व–वित्तपोषित संस्थाओं में सभी छात्राध्यापकों के लिए छात्रावास की उपलब्धता न होना, छात्रों का पढ़ाई से सन्तुष्ट न होना, शिक्षा मनोविज्ञान आदि में प्रयोग कार्य का न कराया जाना, शिक्षण अभ्यास कार्य निर्धारित संख्या में न कराया जाना, अध्यापन के लिए सहायक सामग्री का न होना, कार्यानुभव के लिए कार्य का न कराया जाना, कक्षा में उपस्थित रहने के लिए बाध्य/प्रेरित न करना तथा छात्र उपस्थिति पूरा न होने पर यहाँ तक की शून्य होने पर भी परीक्षा में बैठने की अनुमति देना शिक्षा की गुणवत्ता के लिए नकारात्मक पक्ष है और बहुत बड़ी बाधा है।

शिक्षा ज्ञान का वह अमूल्य अस्त्र है, जो अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, जिससे सभ्यताएँ बनती हैं और संस्कृतियाँ परवान चढ़ती हैं। शिक्षा के द्वारा ही समुदाय, समाज व राष्ट्र शक्ति–सम्पन्न तथा लोकतन्त्र मजबूत होता है। शिक्षा विकास की आधारशिला है। यह एक दिन का प्रयास नहीं है, अपितु मानव के सृष्टिकाल से लेकर अब तक का विकास है। जब तक सृष्टि रहेगी, विकास क्रम रहेगा, निश्चित रूप से शिक्षा की भूमिका अपरिहार्य रहेगी। शिक्षा से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारीत्रिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, भावात्मक, रागात्मक विकास होता है। आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की कल्पना शिक्षा के अभाव में कर ही नहीं सकते हैं। एतदर्थ शिक्षा ऐसे महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करना, किसी देश का परम कर्तव्य होता है। यही कारण है कि देश आजाद होने के बाद, संविधान में शिक्षा के सन्दर्भ में धारा–41 में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा का प्रबन्ध, राज्य की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए करना होगा।

राज्य सरकारों ने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए संस्थाओं की स्थापना की, प्रबन्ध किया और संचालन कर रही है। देश के सभी राज्यों में सरकारी स्तर की संस्थाएँ होनी चाहिए थीं लेकिन सभी के लिए सरकारी संस्थाएँ, उच्च शिक्षा के लिए नहीं खोली गई। उच्च शिक्षा की ये संस्थाएँ कई प्रकार की है। एक तो विश्वविद्यालय है जिनको आर्थिक सहायता शासन द्वारा यू.जी.सी. के माध्यम से मिलता है। दूसरी राजकीय महाविद्यालय हैं जिनको आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा मिलती है। यू.जी.सी. भी इन्हें सहायता प्रदान करती है। तीसरी वे संस्थाएँ हैं। जिन्हें आर्थिक सहायता वेतन के रूप में राज्य सरकार एवं यू.जी.सी. प्रदान करती है। अन्य कार्यों के लिए प्रबन्धन, आर्थिक सहायता अपने स्रोत अथवा अन्य अनुदान

से करता है। इस समय एक अन्य प्रकार की स्व–वित्तपोषित संस्थाएँ बिड़ला ६ रिपोर्ट 2000 के आधार पर खोली जा रही है। इस रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार किया और उसमें प्रावधान किया गया है कि 2015 तक भारत वर्ष की आबादी 125 करोड़ हो जाएगी, जिसमें 5 से 24 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या लगभग 45 करोड़ होगी। इसमें 2.2 करोड़ उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग्य लोगों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त 27471 कालेज व विश्वविद्यालय मिलाकर खोलना होगा। इस रिपोर्ट में अगले 15 वर्षों के लिए सरकारी व निजी क्षेत्र के लिए अलग–अलग निवेश के लिए आंकलन भी प्रस्तुत किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2015 तक उच्च शिक्षा पर वार्षिक व्यय लगभग 42 हजार करोड़ रुपए होंगे। इसके अतिरिक्त 15 वर्षों में भारत सरकार को नए उच्च शिक्षा के निर्माण पर 11 हजार करोड़ रुपए की पूँजी लगानी होगी। चूँकि सरकार को इतना कुछ अपने बूते पर किया जाना सम्भव नहीं लगा। अतः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी व सरकारी क्षेत्र में क्रमशः 60 व 40 के अनुपात में पूँजी निवेश के आंकलन प्रस्तुत किए गए।

किसी राष्ट्र के विकास में भौतिक संसाधनों के साथ–साथ मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्र का भविष्य क्या होगा इसका निर्धारण, मानव संसाधन तैयार करने वाली प्रयोगशालाओं अर्थात् शिक्षण संस्थानों की स्थिति पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964) ने अपनी रिपोर्ट में ठीक ही कहा है कि भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। दक्ष एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने का दायित्व शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा पर होता है। भारत के विजन 2020 के तहत 2020 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक गतिशील व्यापक एवं प्रासंगिक बनाना होगा।

भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था का वर्तमान ढाँचा विश्व–शिक्षा व्यवस्था में तीसरे नम्बर पर आती है। आज देश में 20 केन्द्रीय विश्वविद्यालय 216 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय और 102 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। 2005–06 तक भारत में कॉलेजों की संख्या 17625 थी जिसमें 1700 महिला कॉलेज थे। उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या 98.9 लाख (लगभग) तथा शिक्षकों की संख्या 4.72 लाख हो गई है। (योजना–मई 2007) इतना बड़ा ढाँचा होने के बावजूद यदि उच्च शिक्षा में नामांकन का ग्राफ काफी नीचे है। वर्तमान में उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु सन्दर्भित आयु वर्ग (18 से 23 वर्ष का 7 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा में प्रवेश कर पा रहा है जबकि यह दर विश्व औसत 23 प्रतिशत से बहुत कम है)। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2015 तक उच्च शिक्षा में नामांकन की दर को 15 प्रतिशत तक करने के लिए व्याप्क पैमाने पर उच्च शिक्षा ढाँचे में निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया है। ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार अभी तत्काल में 1500 नए विश्वविद्यालयों को खोलने की आवश्यकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इतने व्यापक पैमाने पर निवेश के लिए धन कहाँ से प्राप्त किया जाए। भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि के आँकड़ों का विश्लेषण करें तो कुछ स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है–

**अनुसंधान कार्य–** प्रस्तुत शोध कार्य में बी0एड0 शिक्षा ग्रहण कर रहे 100 छात्रों को सम्मिलित किया गया है इन सभी का चयन रैंडम सैम्पलिंग के तरीके से किया गया हैं। प्रस्तुत अध्ययन सर्वेक्षण विधि की सहायता से किया गया है। यह एक वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति है। जानकारी एकत्र करने के लिए यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग किया गया है। फॉर्म की सहायता से शोधकर्ता द्वारा एक अच्छी तरह से

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 11, Issue 02, February 2021 Impact Factor 6.569 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

तैयार की गई प्रश्नावली तैयार की जाती है और लिंक बी0एड0 छात्रों को भेजा जाता है तथा प्रश्नावली में दिये गये प्रश्नों का उत्तर को एकत्रित करने हेतु प्रतिशत का प्रयोग किया गया।

इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ वास्तव में शिक्षा, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं कौशल के विकास के लिए ही नहीं खोली गई है बल्कि आर्थिक विकास अर्थात् व्यवसायिक विकास हेतु खोली गई है। इनमें शिक्षा पर केवल विशेष बल दिया जाता है, बल्कि तड़क–भड़क पर विशेष बल दिया जाता है। इसी प्रकार से सामान्य शिक्षा के लिए विज्ञान एवं कला वर्ग, शिक्षा वर्ग (शिक्षा संकाय) की संस्थाएँ खोली गई है। इनमें प्रवेश तो लिया जाता है, लेकिन शिक्षण कार्य उस स्तर का नहीं होता है, जिस स्तर का शिक्षण कार्य होना चाहिए। इससे जानने के लिए इलाहाबाद के स्व–वित्तपोषित बी.एड. के 100 छात्रों से सूचना प्रपत्र भरवाया गया। उनका विवरण निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है–

**तालिका सं0 1**

| क्रमांक | बिन्दु | प्रतिशत मान | |
|---|---|---|---|
| | | हाँ | नहीं |
| 1. | आप स्व–वित्त संस्था के छात्र हैं। | 100 | 00 |
| 2. | आपके रहने के लिए छात्रावास उपलब्ध है | 03 | 97 |
| 3. | बी.एड. की पढ़ाई से आप सन्तुष्ट हैं | 06 | 94 |
| 4. | सैद्धान्तिक विषयों की बोधगम्यता के लिए अवसर प्रदान किया है। | 14 | 86 |
| 5. | शिक्षण–अभ्यास कार्य निर्धारित संख्या तक कराया जाता है। | 00 | 100 |
| 6. | शिक्षण–अभ्यास हेतु सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। | 07 | 93 |
| 7. | समाज के साथ के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। | 20 | 80 |
| 8. | सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (ब्वउचतमीमदेपअम ब्वदजपदनवने म्अवसनजपवद) किया जाता है। | 00 | 100 |
| 9. | यूनिट टेस्ट का अवसर प्रदान किया जाता है। | 00 | 100 |
| 10. | कक्षा में आने के लिए बाध्य किया जाता है | 15 | 85 |
| 11. | इन्टर्नशिप का उपयुक्तता के साथ अवसर प्रदान करना | 00 | 100 |
| 12. | शिक्षकों की उपलब्धता | 08 | 92 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | सहगामी क्रियायें करने का अवसर मिलता है। | 13 | 87 |
| 14. | शिक्षण योजना प्रदान किया जाता है। | 100 | 00 |
| 15. | शिक्षण–अभ्यास कार्य का पर्यवेक्षण उचित रूप में होता है। | 06 | 94 |

उपरोक्त तालिका के बिन्दु एक देखने से स्पष्ट हो रहा है कि उत्तरदाता सभी स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय के छात्र हैं। बिन्दु दो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि 3 प्रतिशत छात्रों के लिए छात्रावास उपलब्ध है शेष 97 प्रतिशत के लिए छात्रावास उपलब्ध नहीं है। बी0एड0 में निश्चित रूप से सभी छात्रों के लिए छात्रावास की उपलब्ध होनी चाहिए जिससे पाठ्य सहगामी क्रियायें सुचारू रूप से संचालित हो सकें। बिन्दु तीन को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि स्ववित्तपोषित कालेजों को बी.एड. के 06 प्रतिशत छात्र वहाँ की पढ़ाई से सन्तुष्ट हैं और 94 प्रतिशत छात्र पढ़ाई से असन्तुष्ट हैं। सैद्धान्तिक पढ़ाई से छात्रों का असन्तुष्ट रहना बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी शिक्षक–शिक्षा को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता है। बिन्दु चार को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि सैद्धान्तिक रूप से जो पढ़ाया जाता है उसको आत्मसात् कराने के लिए प्रयोग कराना आवश्यक है। इस बिन्दु पर 14 प्रतिशत छात्रों ने सहमति जताई और 86 प्रतिशत छात्रों ने असहमति जताई है। जो 14 प्रतिशत छात्रों ने स्वीकार किया है, वे सम्भवतः विद्यालय कम जाते रहे। बिन्दु 5 को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि स्व–वित्तपोषित बी.एड. कालेजों में निर्धारित 20–20 पाठ शिक्षण अभ्यास के अन्तर्गत नहीं पढ़ाए जाते हैं। कक्षा में कम ही पाठ पढ़ाए जाते हैं। शेष यदि कापी पर लिखे मिलते हैं, तो वे कक्षा में पढ़ाए गए नहीं होते हैं। इसको शत–प्रतिशत छात्रों ने स्वीकार किया है। यदि पाठ कक्षा में कुछ पढ़ाया जाता है तो उसको गहनता प्रदान करने के लिए सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। विद्यालयों से बी.एड. छात्रों को सहायक सामग्री 07 प्रतिशत छात्रों को ही उपलब्ध कराई जाती है शेष 93 प्रतिशत छात्र विद्यालय से सहायक सामग्री नहीं पाते हैं। बिन्दु सात कार्यानुभव से सम्बन्धित है। 20 प्रतिशत छात्रों ने स्वीकार किया है कि कार्यानुभव का अवसर दिया जाता है शेष 80 प्रतिशत छात्रों ने स्वीकार किया है कि कार्यानुभव का कोई अवसर नहीं दिया जाता है। जब तक विद्यार्थी सामग्री बनाएगा नहीं तब तक सृजनात्मक एवं कलात्मक का विकास नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अध्यापक होकर अपने शिष्यों (छात्रों) के साथ न्याय नहीं कर सकता है। यह शिक्षक–शिक्षा की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तालिका में बिन्दु 8 सीसीई से सम्बन्धित है। शत–प्रतिशत छात्रों ने स्वीकार किया है कि स्व–वित्तपोषित संस्थाओं में अर्ध–वार्षिक परीक्षा नहीं कराई जाती है और यूनिट टेस्ट भी नियमतः नहीं होता है। बिन्दु 10 कक्षाओं में उपस्थित रहने से सम्बन्धित है, 15 प्रतिशत छात्रों ने स्वीकार किया है कि विद्यालय में कक्षा में उपस्थित रहने के लिए बाध्य किया जाता है और 85 प्रतिशत छात्रों ने स्वीकार किया है कि कक्षा में उपस्थित रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। जिन छात्रों को बाध्य नहीं किया जाता है वे विद्यालय प्रशासन से या तो जुड़े होते हैं अथवा वे अर्थदंड देने के लिए वादा करके विद्यालय नहीं आते हैं। परोक्ष में कोई दूसरा कार्य करते हैं चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा से सम्बन्धित हो अथवा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने से सम्बन्धित हो। इस प्रकार की छूट देना विद्यालय के लिए जहाँ दो प्रकार की व्यवस्था की ओर संकेत देता है वहीं पर शिक्षा की गुणवत्ता को समाप्त करना है। बी.एड. में सैद्धान्तिक विषयों की परीक्षा स्वाध्याय के द्वारा दी जा सकती है लेकिन प्रयोग एवं शिक्षण अभ्यास कार्य स्वाध्याय से नहीं होगा बल्कि अभ्यास कार्य कक्षा में करना अनिवार्य है। बिन्दु 11 के सम्बन्ध में शत प्रतिशत छात्रों ने

कहा कि इन्टर्नशिप का उपयुक्तता के साथ अवसर प्रदान नहीं की जाती है। बिन्दु 12 में शिक्षकों की उपलब्धता के संदर्भ में 08 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि संस्थान में विषय के अनुसार शिक्षक उपलब्ध है जबकि 92 प्रतिशत छात्रों ने शिक्षकों की उपलब्धता से इंकार किया है। संभवतः ये 08 प्रतिशत छात्र वहीं होंगे जो विद्यालय नहीं जाते। बिन्दु 13 के संदर्भ में 13 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि वे सहगामी क्रियाओं में प्रतिभाग करते हैं तथा 87 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि संस्थान द्वारा सहगामी क्रियाओं का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। बिन्दु संख्या 14 के विषय में सभी 100 प्रतिशत छात्रों ने स्वीकार किया कि शिक्षण योजना प्रदान की जाती है। बिन्दु सं0 15 में पूछने पर 06 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि शिक्षण अभ्यास कार्य का पर्यवेक्षण उचित रूप से होता है जबकि 94 प्रतिशत छात्रों ने इस संदर्भ अपनी अनभिज्ञता जताई।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि बी. एड. की स्व–वित्तपोषित संस्थाओं की बेसुमार वृद्धि अध्यापक शिक्षा के गुणवत्ता के सापेक्ष खरा नहीं उतर रही है। विवेचना से निष्कर्ष निकलता है कि इन स्व–वित्तपोषित संस्थाओं में सभी छात्राध्यापकों के लिए छात्रावास की उपलब्धता न होना, छात्रों का पढ़ाई से सन्तुष्ट न होना, शिक्षा मनोविज्ञान आदि में प्रयोग कार्य का न कराया जाना, शिक्षण अभ्यास कार्य निर्धारित संख्या में न कराया जाना, अध्यापन के लिए सहायक सामग्री का न होना, कार्यानुभव के लिए कार्य का न कराया जाना, कक्षा में उपस्थित रहने के लिए बाध्य/प्रेरित न करना तथा छात्र उपस्थिति पूरा न होने पर यहाँ तक की शून्य होने पर भी परीक्षा में बैठने की अनुमति देना शिक्षा की गुणवत्ता के लिए नकारात्मक पक्ष है और बहुत बड़ी बाधा है। ऐसी अवस्था में निःसंदेह बी0एड0 संस्था की वृद्धि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए नकारात्मक सिद्ध हो रही है।

**सुझाव**

1. स्व–वित्तपोषित बी.एड. की संस्थाओं की मान्यता प्रदान करने में कड़ाई होनी चाहिए। ढिलाई ही विसंगति की जननी है।
2. प्रबन्धक एवं शिक्षा प्रशासन को सभी उपकरण उपलब्ध कराना चाहिए उनका प्रयोग छात्रों द्वारा होना चाहिए। शिक्षक भी उनका प्रयोग करके शिक्षण कार्य करें। इसकी यथार्थता की जाँच विश्वविद्यालय प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा ईमानदारी से होना चाहिए।
3. छात्रों को कक्षा में आने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। निर्धारित उपस्थिति न रहने पर परीक्षा में बैठने से रोकने की कार्यवाही होनी चाहिए । अर्थदण्ड लेकर परीक्षा में बैठाया नहीं जाना चाहिए।
4. छात्रों की पढ़ाई से सन्तुष्ट करने के लिए योग्य शिक्षक रखना चाहिए। शिक्षण कार्य को प्रयोग एवं उपकरण आधारित बनाना चाहिए। इसके लिए विद्यालय प्रशासन को स्वैच्छिक संकल्प लेना होगा। छात्र हित को, गुणवत्ता वृद्धि को सर्वेपरि रखना होगा।
5. मासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा अवश्य होनी चाहिए।
6. रूल को रूतबे, रूपये के प्रभाव से दूर रखना होगा।
7. एन0सी0टी0ई0 के अनुसार प्रत्येक तीसरे माह औचक निरीक्षण करना होगा।
8. औचक निरीक्षण में तीन सदस्य सहायता प्राप्त महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/स्ववित्तपोषित संस्थान में से व एक विश्वविद्यालय अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी होने चाहिए।

## सन्दर्भ

1. प्रसाद, कमल किशोर, उच्च शिक्षा का वाणिज्यीकरण, प्रतियोगिता दर्पण, जुलाई, 2001, पृ0सं0 22
2. मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ, सामाजिक विचारधारा, विवेक प्रकाश, जवाहरनगर, दिल्ली–7, पृ0सं0–525
3. अम्बानी बिड़ला रिपोर्ट, 2000
4. एम0एम0, अन्सारी, शिक्षा का व्यवसायीकरण, अंक–1, पृ0सं0–309
5. आजाद, जे0एल0, शैक्षिक वित्त, अंक–1, पृ0सं0–558
6. नीपा, (1995), अंक 1 परिप्रेक्ष्य–शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक–आर्थिक सन्दर्भ।
7. शुक्ला, सुरेशचन्द्र, स्मारिका, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में अवरोधक तत्व, मार्च, 2005
8. भारत का संविधान
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
10. नई शिक्षा नीति का आंशिक अध्ययन